IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882
INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)
An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

भारत में बलात्कार कानूनों का विकास एवं ऐतिहासिक परिपेक्ष्यः–

अमूर्त

1Pushpa Patel, 2Dr. Mrityunjay kumar rai

1Scholar, 2Assistant Professor

1MBSPG College gangapur varanasi uttar pradesh india,

2MBSPG College gangapur varanasi uttar pradesh india

बलात्कार विरोधी कानूनो और इसके विकास की सैद्धान्तिक समझ प्रदान करात है, जो सम्पत्ति अपराध से लेकर महिला की शारीरिक अखण्डता के विरूद्ध अपराध तक है इसकी उत्पत्ति का पता लगाता है। विशाखा V/S राज्य स्थान (भवरी देवी) मामला से तक R.G. कर कोलकाता रेप व हत्या मामले से लेकर पूने मामले तक का ऐतिहासिक मामलो का विश्लेषण करता है। जिसमें भारतीय दण्ड संहिता के तहत बलात्कार विरोधी कानूनो में प्रगतिशील संशोधन किये गए।

यह संशोधन 1983, 2013, 2018 और 2023 के आपराधिक कानूनो में संशोधन अधिनियम किये गए, भारतीय दण्ड संहिता के जगह पर नही कानून जिसे अब हम भारती न्याय संहिता के नाम से जाना जाता है।

भारतीय दण्ड संहिता (I. P.C.) में बलत्कार को धारा 375 में परिभाषित किया गया था। लेकिन भारतीय न्याय संहिता (B.N.S.) में धारा 63 में बलत्कार की परिभाष है।

अधिनियम द्वारा किये गए सुधारो पर विस्तार पर चर्चा करता है।

यह कि न्यायमूर्ति वर्मा समिति द्वारा लिंग तटस्थताः मृत्यु दण्ड, आजीवन कारावास आदि के विवादित पहलुओं पर गई सिफारिस पर गौर करता है।

यह न्यायालयों द्वारा अपनाए गए स्त्री द्वेषी दृष्टिकोण को उजागर करने का निर्णयो की एक श्रृखंला का विश्लेषण करता है। जो विकासशील सुधरों बाद भी न्याय मांगने वाली महिला के रूप में बाधा होती है। यह केवल विधायी ही नही बाल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर से बदलाव के सुझाव के साथ खत्म होता है।

भारत में बलात्कार को स्पष्ट रूप से भारतीय दण्ड संहिता में (I.P.C) में परिभाषित अपराध की श्रेणी में वर्ष 1960 में शामिल किया गया था।

वर्ष 1833 के चार्टर एक्ट के लागू होने का भारतीय कानूनो को संहिता बाद्ध करने का प्रारम्भ किया गया। इसके लिए ब्रिटिश संसद ने लार्ड मैकाले की अध्यक्षता में पहले विधि आयोग का गठन किया गया।

आयोग ने इसमें दो विधि को बनाया एक सारवास विधि (I.P.C.) और दूसरा प्रक्रिया विधि (Cr.P.C.) बना ।

जो अब इसके स्थान पर (B.N.S.) भारतीय न्याय संहिता व (B.N.S.S.) भारतीय नागरीक सुरक्षा संहिता जो 1 जुलाई को प्रवर्तन में आया।

परिचयः—

बलात्कार एक प्रकार का यौन हमला है जिसमें आमतौर पर किसी व्यक्ति के सहमति के बिना उसके खिलाफ किये गये संभोग या अन्य प्रकार के यौन प्रवेश शामिल होते है, यह कार्य वैध सहमति देने अक्षम व्यक्ति जैसे कि बेहोश, अक्षम, बैद्धिक अक्षमता या सहमति की कानूनी उम्र से कम के खिलाफ शारीरिक बल, अधिकार के दुरूपयोग द्वारा किया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति के अनुमति के बिना उसके साथ सभोग करना बालात्कार कहलाता है। यह कानूनी अपराध है। यदि बलत्कार एक से अधिक व्यक्तियो द्वारा किया जाता है तो उसे सामुहिक बलात्कार कहते है।

बलत्कार जघन्य अपराधो के श्रेणी में आता है। जिसकी सजा आजीव करावास या मृत्युदण्ड भी हो सकता है। बदलते समय के साथ सांस्कृति मान्यताओं और मानव में बदलाव आया जिसमें बलत्कार की परिभाषा में अपराध रूप में जब पहली बार सन्—1860 में था जब बलत्कार विरोधी कानून का पहली बार आई0पी0सी0 में उल्लेख किया गया था। लेकिन 17 वीं शताब्दी के न्यायविद् सर जान मैथ्यू हेल बलत्कार पर टिप्पणी ‘‘एक ऐसा आरोप है, जो आसानी से लगाया जा सकता है, और साबित करना मुश्किल है। आरोपी पक्ष द्वारा और भी मुश्किल है, हाला कि कभी भी इतना निर्दोष नही होता है।‘‘

औपनिवेशिक अदालतों के पूर्वाग्रही रवैये को दर्शाता है। यह धारणा कि महिला झूठ बोल सकती है, वह कारण बनाई जिसके कारण ट्रायल कोर्ट आरोपी के अपराध करने के बजाय साबित करने की और अधिक निर्देशित हुए।

यह उसके पीछे यौन सम्बन्धों या उसके कौमार्य पर ध्यान केन्द्रित था जिससे मामले के परिणाम को निर्धारित किया। आखिर में मजबूत हुए।

क्योकि कुछ क्रुर मामलो के कारण महिला आन्दोलन के बढ़ने के साथ ही कानूनों में बदलाव हुए, जिसमें समाज में जागरूकता आई और लोगों के नजरियॅा में बदलाव आया है। इस लेख में कठुआ बलत्कार मामला, मथुरा बलत्कार मामला उन्नाव, (R.G) कर कोलकाता मेडिकल कॉलेज बलत्कार हत्या मामला, व पूने मामलो और भी कई मामले पर चर्चा की गयी जिसके कारण क्रमशः 1983, 2013, 2018 में आपराधिक कानून में संशोधन हुए जो अब इन सब आपराधिक कानून की जगह अब हमारी नयी (B.N.S.) भारतीय न्याय संहिता उसकी जगह लिया है। बलात्संग की परिभाषा ठण्छैण् धारा 63 में है। और इस नयी आपराधिक कानून में धारा ठण्छैण् 69 नयी धारा जोड़ी गयी जो कोई प्रवंचनापूर्ण साधानो द्वारा या किसी महिला को विवाह करने के वचन देकर, उसे पूरा करने के आशय बिना, उसके साथ मैथुन करेगा, ऐसा मैथुन बलत्कार के कोटि में तो नही आयेगा है तो वह दोनो में से किसी भाँति के ऐसी अवधि के कारावास से दण्डनीय होगा, जो दस वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने के लिए भी दायी होगा। नयी अपराधिक कानून के भारतीय न्याय संहिता की धारा 73 में अनुज्ञा

के बिना न्यायालय की कार्यवाही से सम्बन्धित किसी मामले का मुद्रण या प्रकाशन करेगा, तो वह दोनों में से किसी भॉति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष हो सकेगी और जुर्गाना से भी दण्डीत होगा।

प्राचीन भारत में बलात्कार के लिए दण्ड बलत्कार जैसे गम्भीर अपराधों के लिए कड़े दण्ड निर्धारित किये गये थे। इस प्राचीन ग्रन्थों और कानूनी संहिता में बलत्कार के लिए निर्धारित कठोरता के बारे में गनुस्मृति, अर्थशास्त्र, याइवल्वय स्मृति, विष्णु स्मृति, और नारद स्मृति में बलात्कार के लिए इस प्रकार के दण्ड का प्रावधान था। प्राचीन भारतीय समाज में कानून और न्याय व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्थान था। बलात्कार जैसे गम्भीर अपराधो के लिए कड़े दण्ड निर्धारित किये गये थे, जो केवल न अपराधी को दण्डित करती थी। बल्कि पूरे समाज को चेतावनी भी देते थे।

https:/www. Reserchgate. Net/pulalication 2294489 1997

कीवर्डः—

बलत्कार विरोधी, कानूनों का विकास, फास्ट ट्रैक कोर्ट, शिक्षा कार्यक्रम, अपराधिक कानून संधोधन, न्याय मूर्ति वर्मा ~~समिति, वर्तमान में बलत्कार से सम्बन्धि नये कानून~~, नाबालिको मामले में कानून, बलत्कार और उसकी सजा, जिरो एफ0आई0आर0।

मनुस्मृति में बलत्कार के दण्डः—

मनुस्मृति प्राचीन भारत एक प्रमुख कानूनी ग्रन्थ है, जिसमें समाज के सभी वर्गो के लिए नियम और कानून निर्धारित किये गये है। इस ग्रन्थ में बलत्कार जैसे जघन्य अपराधों के लिए कड़े कानून का प्रावधान है।

यदि कोई उच्च जाति की माहिला या कुवारी (अविवाहित) महिला के साथ बलत्कार करता था। तो उसे दण्ड में जुर्माना, सार्वजानिक अपमान, अंग, भंग या यहाॅ तक मृत्यु दण्ड भी दिया जाता था।

अर्थशास्त्र में बलात्कार के लिए दण्डः—

कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो भारत का एक प्रचीन ग्रन्थ है, भारत का एक प्रसिद्ध ग्रन्थ अर्थशास्त्र भारत में राज संचालन और कानूनी मामलो पर केन्द्रित है। इस ग्रन्थ में बलात्कार को एक गम्भीर अपराध माना गया है। इसमें अपराधी को जुर्माना, शारीरिक दण्ड, या मृत्यु दण्ड दिया जा सकता था।

याज्ञवल्क्य स्मृति में बलात्कार के लिए दण्डः—

याज्ञवल्क्य स्मृति भी एक कानूनी ग्रन्थ है, इसमें भी यौन अपराध और बलात्कार के लिए कठोर दण्ड का प्रावधान किया गया था। इस ग्रन्थ में बलात्कार के लिए जुर्माना अंग—भंग या मृत्यु दण्ड का उल्लेख मिलता है।

मनु/एसी 1019011978

विष्णु पुराण स्मृति में बलात्कार के लिए दण्डः—

इस ग्रन्थ में बलात्कार और यौन उपराध के लिए जुर्माना न देने में मृत्युदण्ड दिया जा सकता था।

आधुनिक समयः—

विशाखा टधै राजस्थान राज्य 1997 एस0सी0 3011 यौन उत्पीड़न का ऐतिहासिक मामला

मामले की पृष्ठभूमिः—

विशाखा राजस्थान राज्य मे गैर—सरकारी संगठन है, जो महिलाओं के उत्पीड़न व कल्याण के लिए काम करती है। भंवरी देवी नाम की एक महिला बाल—विवाह सशक्तिकरण के खिलाफ एक अभियान चला रही थी। जिससे सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक समुदायिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रही थी। वर्ष 1992 में, जब वह एक परिवार में बाल विवाह रोक रही थी। राजस्थान के एक गॉव के पुरूषो के एक समूह ने उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। मामला निचली अदालत में गया उचित सबूत के अभाव के कारण आरोपी निर्दोष बरी हो गये। फैसले के विरूद्ध नैना कपूर और साक्षी के नेतृत्व में महिलओं का समूह ने उचित न्याय मांगने के लिए अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के समझ एक जनहित याचिका डाली और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मामले का तुरन्त संज्ञान लिये।

द हिन्दू

कार्य स्थल पर यौन उपीड़न के सम्बन्ध में कोई विशिष्ट कानून नहीः—

याचिका कर्ताओं ने आगे तर्क दिया कि कार्य स्थल पर यौन उपीड़न से महिलाओं के सुरक्षा के लिए उक्त मुद्दे पर कोई विशिष्ट कानून नही है और इनके लिए असुरक्षित माहौल पैदा होता है लिससे महिलाओं को नौकरी करने और भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है इसने सार्थक जीवन जीने की प्रक्रिया में बाधा आती है।

अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन की भूमिकाः—

यह तर्क दिया गया कि, चूकि भारत महिलओं के विरूद्ध सभी प्रकार के भेद—भाव के उन्मूलन पर कन्वेश (1949) की पुष्टि की है।

मौलिक अधिकारो का उल्लंघनः—

याचिका कर्ताओं ने तर्क दिया कि कार्य स्थल पर महिलओ के यौन उपीड़न के अभाव कृत्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14,15,19(1) जी उल्लघंन होता है। याचिकाकर्ताओं ने माननीय न्यायालय का ध्यान महिलाओ क लिए सुरक्षित कार्य वातावरण के प्रवधान के सम्बन्ध में करने में मौजूद खामिया की और ध्यान दिलाये उन्होने ने माननीय न्यायालय से कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकन के लिए दिशा निर्देश तैयार करने का अनुरोध किया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले को कार्यस्थल पर यौन उपीड़न के सम्बन्ध में गाइड लाइन्स बना दिया। जिसे आज विशाखा गाईड लाइन से जाना जाता है।

मथुरा बलात्कार केशः—

पिछले कुछ दशको में अपराध में वृद्धि के साथ बलात्कार विरोधी कानूनों में कई संशोधन हुए है कुख्यात मथुरा मामला देश में हगांमा मचा दिया, जिसके परिणााम स्वरूप अन्ततः आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 1983 बना।

1972 में तुकाराम और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में, मथुरा नामक आदिवासी किशोरी पर आरोप लगाया की उसके साथ हिरासत में दो पुलिस कर्मीयों ने बलात्कार किया ऐसा मामला सर्वोच्च न्यायालय में चला और अपराधियो को सबूत के अभाव में छोड़ दिया गया। न्यायालय में यह निष्कर्ष निकला कि यह पुलिस थाने में सहमति से संभोग किया गया था। संभोग व बलात्कार मे बहुत अन्तर होता है।

पंजाब राज्य V/ S गुरमीत सिंह 1966 (16 जनवरी):—

इस के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहॉ ''बलात्कार केवल शारीरिक हमला नही अपितु पीड़िता के यह पूरे व्यक्तित्व को नष्ट कर देती है एक अपराधी अपने शिकार के भौतिक शरीर को नष्ट कर देता है। एक बलात्कारी असहाय महिला के आत्म को अपमानित करता है।''

इसके अलावा, पीड़िता के साथ जिरह के दौरान न्यायालय में किये जाने वाले व्यवहार की बढ़ती आलोचना के कारण, न्यायालय की राय थी कि ''जबकि अभियुक्त को जिरह के माध्यम से अभियोक्ता की सत्यता और उसके कथन विश्वनियता का परिक्षण के लिए छूट दी जानी चाहिए।

निर्भया सामूहिक बलात्कार मामला 2012:—

सन्–2012 में दिल्ली में चलती हुयी बस में बलात्कार जैसे जंघन्य अपराध की घटना पूरे देश को दहलाकर रख दिया इस घटना में पीड़िता के साथ सामुहिक दुष्कर्म हुआ फिर क्रुरता से उसके आन्तरिक अंगो को बाहर खीचकर निकाल दिया गया, जिसमे मिडिया ने आई0पी0सी0 की धारा 228 ए (2) जो अब ठण्छैण धारा 72 में दिया गया है। उसका नाम ''निर्भया'' रखा गया है। इस जंघन्य अपराध में सभी बर्वरता की हदे पार कर दी गयी थी। मानव जाति को शर्मसार करने वाली घटना हुयी थी, जिसके पूरा देश आक्रोश में था। पीड़िता को अत्यधिक आघात पहुचा था। डाक्टरो के पूरा प्रयास करने के बावजूद दिसम्बर 2013 मुं सिंगापुर के एक अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गयी सितम्बर 2013 में चारों आपराधियों को बलात्कार, हत्या, अपरहरण और सबूत मिटाने को दोषी ठहराया गया था। और उन्हें मृत्युदण्ड की सजा सुनायी गयी यह मामला विरले से विरल मामला के श्रेणी में आता है। चारों आपराधियो में से एक आपरोपी राम सिंह ने तिहाड़ जेल में आत्महत्या कर ली थी। और किशोर आपराधी को किशोर न्याय आधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सुधार गृह तीन साल की सजा मिली थी।

तृतीय वर्ष बी0ए0 एल0एल0बी नेशनल लॉ

न्यायमूर्ति वर्मा समिति की रिपोर्टः—

न्यायमूर्ति वर्मा समिति की गठन किया गया। निर्भया बलात्कार हत्या सन्–2012 के बाद पूरे भारत में प्रर्दशन हुआ, जिसके कारण वर्मा समिति का गठन किया गया इसमें कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) विधेयक 2012 के लिए सिफारिस की और आन्तरिक शिकायत

समितियों की मौजूदा आलोचना करते हुए कहाॅ कि यह विधेयक के उद्देश्य को पराजित करता है। और एक रोजगार न्यायधिकारण की स्थापना की सिफारिस किया गया।

आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013:–

आपराधिक कानून संशोधन अधिनिमय 2013 में जस्टीस वर्मा समिति द्वारा दी गयी रिपोर्ट के अनुरूप आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम (3 फरवरी) 2013 लागू किया गया जिसके तहत (I.P.C. 1860) (CR. P.C. 1973) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में बहुत परिवर्तन किये गए।

इसमें भारतीय न्याय संहिता (I.P.C.) की धारा 376 ए को जोड़ा गया जिसमें बलात्कार के दौरान पीड़िता की मौत पर आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास दिया जायेगा। और ∪च्ब् की धारा 376 बी जोड़ा गया पति पत्नी के अलगाव के दौरान संभोग करना 2 वर्ष का कारावास इत्यादि दण्डित किया जायेगा।

नये अपराधिक कानून 2023 :–

भारत में अब बदलते समय के साथ आपराध करने का तरीका भी बदल रहा है, इसलिए कानून को बदलना जरूरी था, जिसको विधायिका ने (I.P.C.) जो भारतीय दण्ड संहिता था वह भारतीय न्याय संहिता (B.N.S.) 2023 से पुकरा जाने लगा इसमे कुछ परिवर्तन करके 1 जुलाई 2024 को लागू किया गया। पहले के समय में डिजिटल का जमाना नही था, लेकिन बदलते परिवेश में इसका बहुत बड़ा योगदान है इसलिए इससे सम्बन्धित अपराध भी बदल रहे है, तो इसके लिए की नयी धारा जोड़ी गयी है।

अब भारतीय दण्ड संहिता के जगह पर भारतीय न्याय संहिता ले लिया है। भारतीय न्याय संहिता (ठण्छण्ैण्) में बलात्कार के लिए धारा 63 में परिभाषित किया गया है। भारतीय न्याय संहिता में (B.N.S.) की धारा 64 बलात्कार के लिए 10 वर्ष से आजीवन कारावास तक का हो सकेगा।

B.N.S. की धारा 65 में नाबालिक से बलात्कार:–

12 वर्ष से कम उर्म की बच्चो के साथ बलात्कार करने पर 20 वर्ष कम नही, या आजीवन कारावास या मृत्युदण्ड भी हो सकता है।

B.N.S. धारा 70 गैंग रेप:–

गैंग रेप के मामले में 20 वर्ष की सजा हो सकती है या जुर्माना या मृत्यु दण्ड से भी दण्डित किया जा सकता है।

ईलेक्ट्रानिक साक्ष्य:–

अपराध स्थल पर विडियों ग्राफी अब ई साक्ष्य मान्य होगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 62 व 63 इलेक्ट्रानिक रिकार्डस की स्वीकारिता के सम्बन्ध में निमय निर्धारित करती है। धारा 63 ए यह प्रावधान है की इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी किसी ईलेट्रानिक रिकार्डस में निहित कोई सूचना, जो कागज पर मुद्रीत है, ऑप्टिकल या चुम्बकीय मीडिया या अर्द्धचालक मेमोरी संग्रहीत रिकार्ड या प्रतिलिपिकृत है जो कम्प्युटर या किसी संचार उपकरण द्वारा निर्मित है। या किसी इलेक्ट्रानीक रूप में संग्रहीत रिकार्ड या प्रतिलिपिकृत है। वह दस्तावेज मानी जायेगी, यदि धारा में उल्लेखित शर्ते सम्बन्धि सूचना और कम्प्यूटर की सम्बन्ध में संतुष्ट होती है तथा किसी कार्यवाही में, साक्ष्य के रूप में

या मूल प्रति की किसी अन्तर्वस्तु या उसमे वर्णित किसी तथ्य के जिसके लिए प्रत्यक्ष साक्ष्य स्वीकार होगा।

शून्य एफ0आई0आर0(Zero FIR):–

पीड़िता या उसके अभिवाक के द्वारा, अब देश में कही पर भी जिरो एफ0आई0आर0 दर्ज करा सकती है। जिरो एफ0आई0आर0 सामान्य एफ0आई0आर0 की तरह होती है, हाला की इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसमें किसी भी तहर के अधिकार क्षेत्र की अड़चने पैदा नही होती है। आम तौर पर जब किसी भी थाने में पुलिस एफ0आई0आर0 तभी लिखि जाती है जब उसके थाना क्षेत्र के अन्तर्गत हुआ हो लेकिन ऐसा जिरो एफ0आई0आर0 में नही होता है इसमें पीड़ित व्यक्ति या उसका कोई रिश्तेदार या कोई तश्मदीद गवाह किसी भी थाने क्षेत्र में जिरो एफ0आई0आर0 दर्ज करा सकता है जिरो एफ0आई0आर0 के आधार पर पुलिस अपनी कार्यवाही या जॉच शुरू कर देती है, बाद में वह केस सम्बन्धित क्षेत्र के थाने में हस्तनान्तरण कर दिया जाता है। इसमें तीन दिन के अन्दर पीड़िता को थाने में जाकर अपना हस्ताक्षर देना जरूरी होता है।

कानून बनाने से केवल बलात्कार जैसे जघन्य अपराध नही रूकेंगे इसके लिए स्कूली स्तर पर ही बच्चो को यौन शिक्षा देने की आवश्यकता है। समय–समय पर सभी बच्चो को यौन शिक्षा सम्बन्धित कैम्प लगाया जाए जिससे बच्चों बलात्कार सम्बन्धित जघन्य अपराध के विषय में जानकारी मिल सके और इस शिक्षा कारण बलत्कार पर विराम लग सके। केवल मृत्युदण्ड से दण्डीत कानून बनाने से बलात्कार समाज में कम नही होंगे इसलिए जमीनी स्तर पर बलात्कार सम्बन्धित कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाया जाए

निष्कर्षः–

पिछले कुछ सालो में बलात्कार का अपराध एक ऐसा मुद्दा रहा है जिस पर सरकार विचार करके कुछ कानून में परिवर्तन करके नये धारा जोड़े गये है। फिर भी बलात्कार जैसे घिनौने, अमानवीय, जघन्य अपराध आये दिन प्रतिदिन घटना हो रहा है जिससे आज भी महिलाए अपने आप को असुरक्षित असहज महसूस करती है। और कार्यस्थल, किसी पुरूष पर विश्वास करने से डरती है कानून तो बन गया है, लेकिन उसे शख्ती से लागू कराया जाना चाहिए। ऐसा चीक जस्टीस डी वाई चन्द्र चूड ने कहॉ है। परन्तु आज भी मानव जाती में आये दिन बलात्कार घटना सुनने को मिलता है।

सन्दर्भः–

1. **निपूर्ण सक्सेना बनाम् भारत सरकारी (2019)**
2. **दीपक गुलाटी बनाम् हरियाणा राज्य (2013)**
3. **नफे सिंह बनाम् हरियाणा राज्य (1971)**
4. **बिलकिस बानो ममला**
5. **दीपक प्रकाश सिंह बनाम् उत्तर प्रदेश राज्य (2023)**
6. **महीन अली बनाम् केरल राज्य (2023)**